रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 230] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रतयक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. 289(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एततद्वारा, आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :-

1. (क) इन नियमों को आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

   (ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 1969 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, यथा-

कॉलम 6

(i) वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखत प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा '30 वर्ष से अनाधिक'।

(केंद्र सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथलनीय)

नोटः आयु सीमा के निर्धारण के लिए निश्चित तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन में दी गई होगी।

## स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रधान नियमावली को सा.का.नि. संख्या 2800, दिनांक 20.12.1969 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 (i) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें सा.का.नि. संख्या 1372, दिनांक 19.12.1974 और सा.का.नि. संख्या 1099, दिनांक 20.08.1977 और सा.का.नि. संख्या 768, दिनांक 08.09.1986 के द्वारा संशोधन किया गया है। यह संशोधन डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/48/2010-स्थापना (आरआर), दिनांक 31.12.2010 में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षित प्रभाव से किए गए संशोधन से इसके पूर्व के नियमों में मौजूद इसी प्रकार के किसी भी प्रावधान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/188/01/2016-17/160/2017-एडी.VII]

जती सिंह मीना, अवर सचिव